

राज्यपाल के अपर सचिव
क्र. एफ-13-7/रा.स./यू.ए.1/05/105
प्रति,

राजभवन भोपाल - 462 052
दिनांक 30 जनवरी 2021

कुलपति,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषय - कार्यपरिषद् में संकायाध्यक्ष श्रेणी से नाम निर्देशन ।

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपतिजी,, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा निम्नांकित संकायाध्यक्षों को संकायाध्यक्ष क्षेणी से विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् में सदस्य नाम निर्देशित किया जाता है ।

1. डॉ० अभित कुमार गुप्ता, संकायाध्यक्ष, मैनेजमेंट संकाय
2. प्रो० रामशंकर, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर के आदेशानुसार

(सही/-)

राज्यपाल के अपर सचिव
मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



पृ० क्रमांक/अका./2021/56R

जबलपुर दिनांक 2/2/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित -

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण।
2. राज्यपाल के सचिव, राज भवन, म०प्र०, भोपाल 462 052
3. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन, भोपाल।
4. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन, भोपाल।
5. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
7. स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करें।
8. विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

प्रभारी कुलसचिव,

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर